



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक ७५४५ / अका. / 2012

रायपुर, दिनांक ०८ / 06 / 2012

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28 मई 2012 (कार्यवृत्त क्रमांक 7490 / अका. / 2012 दिनांक 01.06.2012) में विषय क्रमांक 3 पर लिये गये निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश क्रमांक-4 की कंडिका 2.1.3 में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के प्रकरण पर पुराने पी-एच.डी. अध्यादेश-45 एवं संशोधित पी-एच.डी. अध्यादेश 45 में उल्लेखित बिन्दुओं का परीक्षण कर समतुल्यता निर्धारण करने हेतु कार्यपरिषद् सदस्यों की त्रिसदस्यीय समिति निम्नानुसार गठित की जाती है-

1. डॉ. बी.के. शर्मा, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. डॉ. आर.बाला सुब्रामनियम, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
3. डॉ. एम.आई.मेमन, प्राचार्य, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्ता पीजी महाविद्यालय, बालोद

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव
ट्रॉ

पृ. क्रमांक ७५४६ / अका. / 2012
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक ०८ / 06 / 2012

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.) ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
4. डॉ. बी.के. शर्मा, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
5. डॉ. आर.बाला सुब्रामनियम, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
6. डॉ. एम.आई.मेमन, प्राचार्य, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्ता पीजी महाविद्यालय, बालोद
5. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) ।
6. समस्त विभाग प्रमुख, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) ।
7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (अका.)